

---

## अध्याय 3

वित्तीय प्रतिवेदन

---

## अध्याय 3

### वित्तीय प्रतिवेदन

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना के साथ एक स्वस्थ आन्तरिक वित्तीय सूचनातंत्र, राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी सुशासन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों के अनुपालन के साथ इन अनुपालनों की समयबद्धता और सूचना की गुणवत्ता की स्थिति अच्छे सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली एवं प्रक्रियात्मक है तो यह राज्य सरकार की मूलभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व निभाने के साथ सामरिक महत्व की योजना व निर्णय लेने में भी सहायता करता है। इस अध्याय में वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन की स्थिति एवं एक विहंगावलोकन दिया गया है।

### 3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 182 के अनुसार, वार्षिक या अनावर्ती सशर्त अनुदानों के मामले में, जिस विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर से सहायता अनुदान देयक आहरित किया जाता है, वह अधिकारी जिस वर्ष से अनुदान संबंधित है उसके आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पहले महालेखाकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

2013-14 तक विभिन्न विभागों में सहायता-अनुदान स्वीकृति के विरुद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

**तालिका 3.1: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		चालू वर्ष के दौरान देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		वर्ष के अंत में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	36,150	18,127.79	4551	15,020.76	40,701	33,148.55	296	1,730.83	40,405	31,417.72
2012-13	40,405	31,417.72	687	3,708.83	41,092	35,126.55	2469	6,885.64	38,623	28,240.91
2013-14	38,623	28,240.91	428	926.94	39,051	29,167.85	2637	1,795.12	36,414	27,372.73*

(स्रोत: वित्त लेखे 2013-14)

\* 2013-14 के दौरान दिए गए अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 30 सितम्बर को या इससे पूर्व देय होंगे सिवाय इसके जहाँ स्वीकृति आदेश में अन्यथा निर्देश नहीं दिए गए हों।

जैसा कि उपर्युक्त में देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2014 को 36 विभागों के कुल राशि ₹ 27,372.73 करोड़ के 36,414 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वृहद् रूप से लंबित रहना मुख्य रूप से नगरीय प्रशासन (₹ 9,548 करोड़), खाद्य, नागरिक आपूर्ति (₹ 5,210 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 4,937 करोड़), स्कूल शिक्षा (₹ 2,784 करोड़) तथा ऊर्जा (₹ 998 करोड़) विभागों से संबंधित था।

### 3.2 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में विलंब

राज्य सरकार ने कृषि, गृह निर्माण, श्रम कल्याण, नगरीय विकास इत्यादि क्षेत्रों में अनेक स्वायत्त निकायों की स्थापना की है। राज्य में छह स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। 30 जून 2014 को लेखापरीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखे भेजना, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना तथा विधानसभा में उनकी प्रस्तुति तालिका 3.2 में दी गई है।

तालिका 3.2: स्वायत्त निकायों के लेखे भेजने की स्थिति

स.क्र.	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए थे	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए थे	विधानसभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति	लेखों की प्रस्तुति/अप्रस्तुति में विलंब (माहों में)
1	मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, भोपाल	2013-14 तक	2008-09	2008-09	2005-06	2009-10 (48) 2010-11 (36) 2011-12 (24) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)
2	मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग, भोपाल	2013-14 तक	2012-13	2011-12	2011-12	2012-13 (08)
3	मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	2010-11	2005-06	जानकारी प्रतीक्षित	2006-07 (69) 2007-08 (57) 2008-09 (45) 2009-10 (55) 2010-11 (31) 2011-12 (24) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)
4	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत शक्ति नियामक आयोग	2012-13 तक	2012-13	2012-13	2012-13	-
5	मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर	संसद के अधिनियम द्वारा सौंपा	स्थापना (1997-98) से प्रस्तुत नहीं किए गए	-	-	1997-98 (192)
6	मध्य प्रदेश आवास एवं अधोसंरचना विकास मंडल, भोपाल	2013-14 तक	2011-12	2011-12	जानकारी प्रतीक्षित	2007-08 (50) 2008-09 (40) 2009-10 (34) 2010-11 (22) 2011-12 (12) 2012-13 (12) 2013-14 (निरंक)

टिप्पणी-विलंब की अवधि, लेखा प्राप्ति की नियत दिनांक अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष की 30 जून से 30 जून 2014 तक ली गई है।

छह स्वायत्त निकायों में से, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने अपनी स्थापना 1997-98 से लेखे प्रस्तुत नहीं किए। लेखाओं के प्रस्तुतीकरण हेतु सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से पत्राचार (सितम्बर 2014) किया गया था। जैसा कि तालिका 3.2 में देखा जा सकता है कि तीन स्वायत्त निकायों (सरल क्रमांक एक, तीन एवं छह) द्वारा लेखाओं को प्रस्तुत करने में 69 महीनों तक का अत्यधिक विलंब किया गया था।

राज्य विधानसभा में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं लेखों के प्रस्तुतीकरण में अस्वाभाविक विलंब के परिणामस्वरूप इन निकायों जिनमें सरकारी निवेश किया गया है, की कार्यप्रणाली की जाँच में देरी हुई, इसके साथ ही स्वायत्त निकायों में वित्तीय अनियमितताओं पर आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलंब हुआ।

### 3.3 दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि की सूचना

मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता खण्ड-1 के नियम 22(1) में कहा गया है कि कोई भी लोक धन की हानि, गबन से हो या अन्य किसी कारण से, तत्काल महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिये, चाहे इस हानि को जिम्मेदार पक्षकार द्वारा पूरा कर दिया गया हो।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2014 तक दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के 2989 प्रकरण सूचित किए थे जिनमें ₹ 28.17 करोड़ समाविष्ट था, जिन पर जून 2014 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी। इस राशि में वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.32 करोड़ (349 प्रकरण) सम्मिलित थे। ₹ 14.47 करोड़ एवं ₹ 4.83 करोड़ के अनेक प्रकरण (2353) वानिकी एवं वन्य प्राणी विभाग तथा सामान्य शिक्षा विभाग के लिए वसूली/नियमितिकरण हेतु लंबित थे। 2013-14 के अंत में दुर्विनियोग, हानियाँ, गबन इत्यादि के लंबित प्रकरणों का विभागवार विवरण तथा उनका समयवार विश्लेषण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है। विभागवार और अनियमितताओं की प्रकृति अनुसार इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है। इन परिशिष्टों से उद्भूत लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा के साथ अनियमितताओं की प्रकृति को तालिका 3.3 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 3.3: दुर्विनियोग, हानियों, गबन इत्यादि की रूपरेखा

लंबित प्रकरणों की समयानुसार रूपरेखा			लंबित प्रकरणों का विवरण		
वर्गीकरण (वर्षों में)	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	समाविष्ट राशि (₹ करोड़ में)
0 - 5	544	11.30	चोरी दुर्विनियोग/सामग्री की हानि	186	2.01
5 - 10	385	7.26			
10 - 15	463	4.20			
15 - 20	380	2.21			
20 - 25	664	1.76			
25 और उससे अधिक	553	1.44			
<b>योग</b>	<b>2989</b>	<b>28.17</b>	<b>योग</b>	<b>2989</b>	<b>28.17</b>

आगे विश्लेषण से प्रकट हुआ कि जिन कारणों से प्रकरण बकाया थे उनको तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: दुर्विनियोग, हानि, गबन इत्यादि के बकाया प्रकरणों के कारण

बकाया/विलंब प्रकरणों के कारण		प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	विभागीय एवं आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित	20	0.35
(ii)	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ परंतु अंतिम रूप नहीं दिया	07	0.53
(iii)	आपराधिक कार्यवाही जिसे अंतिम रूप दिया गया लेकिन राशि की वसूली के लिए प्रमाण पत्र प्रकरणों का निष्पादन लंबित था	06	0.19
(iv)	वसूली अथवा अपलेखन हेतु आदेश प्रतीक्षित	2839	23.03
(v)	न्यायालयों में लंबित	117	04.07
<b>योग</b>		<b>2989</b>	<b>28.17</b>

इस तरह ₹ 28.17 करोड़ के 2989 प्रकरणों में से ₹ 9.61 करोड़ के 2060 प्रकरण (69 प्रतिशत) 10 वर्ष से अधिक लंबित शामिल थे। 2839 प्रकरणों (95 प्रतिशत) में वसूली अथवा अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित थे।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 17.89 लाख के 163 हानि के प्रकरणों का अपलेखन किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 3.4 में विस्तृत दिया गया है।

### 3.4 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

#### 3.4.1 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की प्रस्तुति में विलंब

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम 313 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पूर्व उनके द्वारा आहरित समस्त आकस्मिक प्रभारों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रतिहस्ताक्षर के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषण हेतु अग्रेषित

कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नियंत्रण अधिकारी को आगामी महीने की पांच तारीख तक प्रस्तुत कर देने चाहिए। नियंत्रण अधिकारी को पारित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक महालेखाकार को प्रस्तुत करना होता है, ताकि ये देयक महालेखाकार कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख तक प्राप्त हो जाए। जबकि, वित्त विभाग के अनुदेश (सितम्बर 1999) द्वारा सभी विभागों के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग (केवल नेशनल क्रेडिट कोर पर व्यय के लिए) को छोड़कर संक्षिप्त आकस्मिक देयकों से आहरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हमने देखा कि मार्च 2014 के अन्त तक, ₹ 14.96 करोड़ के 599 विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक लंबित थे। इनमें से केवल 55 देयक (₹ 52 लाख) नेशनल क्रेडिट कोर (एन.सी.सी.) से संबंधित थे। विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों को प्रस्तुत करने में हुआ वर्षवार विलंब तालिका 3.5 में दिया गया है।

**तालिका 3.5: मार्च 2014 के अंत में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों की बकाया स्थिति**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित संक्षिप्त आकस्मिक देयक		योग		वर्ष के दौरान प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक		वर्ष के अंत में बकाया विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12 तक	1339	21.43	8**	0.05	1347	21.48	477	1.98	870	19.50
2012-13	870	19.50	300	1.66	1170	21.16	497	5.92	673	15.24
2013-14	673	15.24	255	1.64	928	16.88	329	1.92	599†	14.96

(स्रोत: वित्त लेख 2013-14)

\*\* 2011-12 के दौरान 8 देयक आहरित किए गए। इसमें मार्च 2014 में आहरित ₹ 0.96 लाख के पांच संक्षिप्त आकस्मिक देयक सम्मिलित हैं जिनके लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक अप्रैल 2014 तक प्राप्त नहीं किए गए थे।

2013-14 के अन्त तक विभागवार लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है।

**तालिका 3.6: वर्ष 2013-14 तक लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक**

स.क्र.	विभागों के नाम/नियंत्रण अधिकारी	संक्षिप्त आकस्मिक देयकों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रोटोकॉल अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल	19	7.59
2	संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	07	0.07
3	संचालक (मृदा संरक्षण), किसान कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल	481	6.41
4	आयुक्त, जनजाति कल्याण एवं पिछड़ा वर्ग विभाग, भोपाल	37	0.37
5	खेल एवं युवा कल्याण विभाग, उप संचालक (एन.सी.सी.) राज्य भोपाल	55	0.52
	<b>योग</b>	<b>599</b>	<b>14.96</b>

इस प्रकार, बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के लगभग 91 प्रतिशत नेशनल कैडेट कोर पर किए व्यय के अलावा अन्य उद्देश्यों से संबंधित थे।

### 3.5 विभागीय प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान

मध्य प्रदेश बजट नियमावली की कंडिका 24.9.3 के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारी उनके द्वारा संधारित किये गये लेखों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से मिलान और गलत वर्गीकरण को पहचान कर एवं ठीक करवाने के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि विभागीय आंकड़ों के मिलान न किए जाने के बारे में हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उल्लेख किया गया है तथापि 2013-14 के दौरान इस विषय में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक करना निरन्तर रूप से जारी रहा।

हमने देखा कि 2013-14 के दौरान कुल व्यय ₹ 85,762.16 करोड़ के विरुद्ध 117 नियंत्रण अधिकारियों में से 104 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 35,216.12 करोड़ (41 प्रतिशत) का मिलान किया गया था। 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 50,546.04 करोड़ (59 प्रतिशत) की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित आंकड़ों से सरकार की प्राप्तियों का मिलान करने की आवश्यकता होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार की कुल ऋणोत्तर प्राप्तियाँ ₹ 75,880.88 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 23,158.46 करोड़ (31 प्रतिशत) के मिलान पूर्ण किए गए थे। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय और प्राप्तियों का मिलान न किये जाने से वित्तीय प्रबंधन में कमी दर्शित हुई।

### 3.6 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होना

आहरण एवं संवितरण अधिकारी आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थायी अग्रिमों का आहरण या तो स्थाई आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विनिर्दिष्ट संस्वीकृतियों के आधार पर करते हैं। वित्त विभाग के निर्देशानुसार (अक्टूबर 2001) शासकीय कर्मचारियों द्वारा यात्रा या आकस्मिक व्यय हेतु लिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन अग्रिम लेने की दिनांक से तीन माह के अन्दर या वित्त वर्ष के अंत तक, जो भी पहले हो, तक कर लिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर गलती करने वाले अधिकारी/कर्मचारी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सावधि जमा पर ब्याज की दर के अनुसार ब्याज अधिरोपित किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी (उपलब्ध सीमा तक) से प्रकट हुआ कि दिनांक 31 मार्च 2014 को 18 विभागों<sup>1</sup> के कुल ₹ 6.63 करोड़ के 1834 प्रकरण,

<sup>1</sup> (1) आवास एवं पर्यावरण: ₹ 0.04 लाख, (2) मछली पालन: ₹ 0.09 लाख, (3) चुनाव आयोग: ₹ 304.35 लाख, (4) पुलिस: ₹ 3.98 लाख, (5) शिक्षा: ₹ 14.08 लाख, (6) पर्यटन: ₹ 11.31 लाख, (7) उद्यानिकी: ₹ 274.43 लाख, (8) संस्कृति: ₹ 4.68 लाख, (9) पुरातत्व अभिलेखगार एवं संग्रहालय: ₹ 31.21 लाख, (10) अनुसूचित जनजाति कल्याण: ₹ 1.88 लाख, (11) उद्योग: ₹ 0.36 लाख, (12) नर्मदा

अभिलेखों में समायोजन हेतु लंबित थे। संबंधित विभागों द्वारा अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7: मार्च 2014 तक लंबित अग्रिम प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण

स.क्र.	लंबित	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	10 वर्ष से अधिक	952	0.37
2	5 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक	291	0.28
3	एक वर्ष से अधिक किन्तु पाँच वर्ष से कम	258	0.94
4	एक वर्ष से कम	333	5.04
कुल		1834	6.63

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि 52 प्रतिशत प्रकरण (952) 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं एवं इस तरह, उनकी वसूली की संभावना बहुत कम है। अग्रिमों की वसूली न होने से संबंधित विभागों में प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण की कमी दर्शित हुई।

### 3.7 लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत बुकिंग

चूंकि अधिकतर शासकीय गतिविधियां महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केंद्र व राज्य के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में स्पष्ट वर्णित है एवं मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैरा 8.3.5(VI) के अनुसार भी बजट नियंत्रण अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां/व्यय' का संचालन कम से कम हो।

वित्त लेखे 2013-14 की जांच में पाया गया कि ₹ 9,532.67 करोड़ का व्यय, कुल व्यय का 12 प्रतिशत (राजस्व एवं पूंजीगत) संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया गया, जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

हमने यह भी देखा कि 18 मुख्य लेखा शीर्ष (राजस्व एवं पूंजीगत) के अंतर्गत ₹ 6,075.78 करोड़ इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 8,074.00 करोड़ का 75 प्रतिशत लघु लेखा शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। यह व्यय संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय के 53 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा, जैसा कि परिशिष्ट 3.5 में दिखाया गया है।

इसी तरह संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹ 15,411.85 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 75,749.24 करोड़) का 20 प्रतिशत दर्ज की गईं जो कि लघुशीर्ष '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत की गईं थी। 26 लेखों के मुख्य शीर्ष (राजस्व प्राप्ति) के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों ₹ 12,236.45 करोड़ में से ₹ 10,191.49 करोड़ (83 प्रतिशत) '800-अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए

घाटी विकास: ₹ 2.91 लाख, (13) पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण: ₹ 2.67 लाख, (14) जल संसाधन विभाग: ₹ 7.78 लाख, (15) भू अर्जन एवं पुनर्वास: ₹ 0.03 लाख, (16) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तता कल्याण: ₹ 0.26 लाख, (17) लोक निर्माण विभाग: ₹ 1.37 लाख, (18) आबकारी : ₹ 1.24 लाख

थे, संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां कुल राजस्व प्राप्तियों का 51 से 100 प्रतिशत के मध्य रहा। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियां' एवं '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत दर्ज की गई बड़ी राशियां वित्तीय सूचना की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे लेखों में सरकार की विभिन्न गतिविधियों पर विखण्डित जानकारी पृथक से प्राप्त नहीं हो पाती।

### **3.8 निकायों एवं प्राधिकरणों को दिए गए अनुदान या ऋण के विवरणों को प्रस्तुत न करना**

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत जिन संस्थानों/संगठनों की लेखापरीक्षा की जानी है उनको पहचानने के लिए, सरकार/विभागाध्यक्षों को विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, जिस उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान की गई और संस्थानों के कुल व्यय की विस्तृत जानकारी प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त, लेखा एवं लेखापरीक्षा, विनियम 2007 उपबंधित करता है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जिन निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान एवं/या ऋण संस्वीकृत करते हैं, वे प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में, उन निकायों एवं प्राधिकरणों जिनको पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान एवं/या ऋण का भुगतान किया था, का विवरण पत्र, जिसमें (अ) सहायता की राशि (ब) जिस उद्देश्य के लिए सहायता संस्वीकृत की गई थी (स) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शित हो, लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

सितम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग ने वर्ष 2013-14 के लिए इस तरह के विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किए। प्रकरण को सितम्बर 2014 में वित्त विभाग एवं अक्टूबर 2014 में शासन के मुख्य सचिव के ध्यान में भी लाया गया; उनके उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

### **3.9 व्यक्तिगत जमा खातों का रख-रखाव**

व्यक्तिगत जमा खाते वे जमा खाते हैं जो कि, खाते प्रशासक के नाम से कोषालय में खोले जाते हैं। राशि को 8443-सिविल जमा 106-व्यक्तिगत जमा के अंतर्गत रखा जाता है। इन खातों को वित्त विभाग के अनुमोदन से खोला जा सकता है। वर्तमान नियमानुसार महालेखाकार की सहमति आवश्यक नहीं है। मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के सहायक नियम 543 एवं 584 से 590 के प्रावधानों के अनुसार जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के संधारण से संबंधित है, ऐसे व्यक्तिगत जमा खाते जो राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले जाते हैं, उनको वित्त वर्ष की समाप्ति पर संबद्ध सेवा शीर्ष को ऋणात्मक नामे डालकर बंद कर देना चाहिए। वित्त विभाग के फरवरी 2010 के अनुदेशों के अनुसार, यदि अगले वर्ष व्यक्तिगत जमा खाते खोलना आवश्यक है तो सामान्य प्रक्रिया से खोले जा सकते हैं। जो व्यक्तिगत जमा खाते लगातार तीन वर्ष तक असंचालित रहे हैं उन्हें कोषालय अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत जमा खाते के

प्रशासक को सूचना देकर बंद कर देना चाहिए एवं शेष राशि को राजस्व जमा के रूप में शासकीय खाते में अंतरित करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए। व्यक्तिगत जमा खाते का कोषालय लेखे से आवधिक मिलान संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है। सहायक नियम 558 के अनुसार धन ऋण ज्ञापन जो कि व्यक्तिगत जमा खाते के प्रारम्भिक शेष, प्राप्तियों, संवितरण एवं अंतिम शेष को दर्शाते हैं, को प्रत्येक माह महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

### व्यक्तिगत जमा खाते की समग्र स्थिति

वर्ष 2011-14 के लिए शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संस्थानों के व्यक्तिगत जमा खाते जो कि राज्य की समेकित निधि से विकलन कर खोले गये हैं, के लेन-देनों के विवरण तालिका 3.8 में दिए गए हैं।

तालिका 3.8: व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को व्यक्तिगत जमा खाते में शेष		वर्ष के दौरान खोले गए व्यक्तिगत जमा खाते		वर्ष के दौरान बंद किए गए व्यक्तिगत जमा खाते		31 मार्च को व्यक्तिगत जमा खाते में शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2011-12	765	2,003.45	128	3.93	07	0.08	886	2,007.30
2012-13	886	2,007.30	27	80.96	09	25.24	904	2,063.02
2013-14	904	2,063.02	19	94.75	43	18.70	880*	1,784.77#

(स्रोत: वित्त लेखे में लेखों पर टिप्पणियाँ)

\* शासकीय: 877, अर्द्धशासकीय 3, इसमें से 414 व्यक्तिगत जमा खाते मार्च 2014 तक असंचालित थे।

# वित्त लेखे में दर्शाए गए वास्तविक शेष के अनुसार है। उपर्युक्त तालिका में पुराने व्यक्तिगत जमा खाते के अंतर्गत ₹ 354.30 करोड़ का अंतर प्राप्तियों एवं संवितरण को दर्शाये न जाने के कारण था।

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतिम शेष से प्रकट हुआ कि प्रशासकों ने नियमानुसार वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को सुसंगत सेवा शीर्षों को ऋण नामे में डालकर बंद नहीं किए गए। चूंकि राज्य की समेकित निधि से व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित राशि को अंतिम व्यय के रूप में दर्शाया जाता है, वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को बंद न किए जाने के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान समेकित निधि के अंतर्गत व्यय बढ़ा हुआ होता है।

सात व्यक्तिगत जमा खातों के प्रशासकों, जिनके 31 मार्च 2014 को व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत कुल ₹ 93.45 करोड़<sup>2</sup> शेष थे, से संबंधित अभिलेखों (मई से अगस्त 2014) की लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गई। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थी:

2

(1) आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल: ₹ 50.85 करोड़, (2) भू अर्जन अधिकारी, आँकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोन: ₹ 18.03 करोड़, (3) भू अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार: ₹ 5.04 करोड़, (4) भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन: ₹ 12.25 करोड़, (5) भू अर्जन अधिकारी एवं उप संभागीय अधिकारी (राजस्व), बरोद जिला आगर (मालवा): ₹ 1.25 करोड़, (6) उप संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि, सागर: ₹ 1.04 करोड़, (7) आयुक्त, संचालनालय सिल्क सतपुड़ा भवन, भोपाल: ₹ 4.99 करोड़

- विभाग के रोकड़ बही आंकड़ों एवं कोषालय आंकड़ों के मध्य कुल ₹ 3.37 करोड़ के व्यक्तिगत जमा खातों के शेषों में अंतर, मुख्यतः चार प्रशासकों द्वारा इन लेन देनों का कोषालयों के आंकड़ों से मिलान न किए जाने के कारण था, जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। धन ऋण ज्ञापन एवं प्रत्येक महीने के लेखे कोषालय अधिकारियों द्वारा महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

तालिका 3.9: रोकड़ बही एवं कोषालय के मध्य अंतिम शेष में विसंगतियां

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते का नाम	31 मार्च 2014 को अंतिम शेष		
		कोषालय	रोकड़ बही	विसंगति
1	भू अर्जन अधिकारी एवं पुनवोस अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर, जिला धार	5.07	5.04	0.03
2	भू अर्जन अधिकारी, ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोन	20.77	18.03	2.74
3	भू अर्जन अधिकारी एवं उप सभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़वाह, जिला खरगोन	12.92	12.25	0.67
4	भू अर्जन अधिकारी एवं उप सभागीय अधिकारी (राजस्व), बरोद, जिला आगर (मालवा)	1.18	1.25	(-) 0.07
	योग	39.94	36.57	3.37

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

- सात में से दो प्रशासकों ने प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खाते को जारी रखने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त नहीं की थी। विवरण तालिका 3.10 में दिए गए हैं।

तालिका 3.10: व्यक्तिगत जमा खाते बिना अनुमति के जारी रहे

स.क्र.	व्यक्तिगत जमा खाते का नाम	वित्त वर्ष के दौरान
1	भू अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना, बड़वाह, जिला खरगोन	2011-12 से 2014-15
2	उप संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि, सागर	2012-13 एवं 2013-14

(स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े)

- हमने देखा कि आयुक्त, संचालनालय सिल्क सतपुड़ा भवन, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 38 में 31 मार्च 2014 को ₹ 4.99 करोड़ का अंतिम शेष था जिसमें 2006-07 के दौरान अंतरित किए गए ₹ 2.28 करोड़ भी सम्मिलित थे। इससे यह दर्शित हुआ कि व्यक्तिगत जमा खाते को न तो वित्त वर्ष की समाप्ति पर बंद किया गया और न ही तीन वर्षों से अधिक अव्ययित शेष राशि को राजस्व शीर्ष में जमा कराया गया था।
- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल के व्यक्तिगत जमा खाता क्रमांक 41 जो कि उपभोक्ता कल्याण निधि के लिए प्राप्त सीड मनी की राशि को रखने के लिए खोला गया था, में 31 मार्च 2014 को ₹ 50.85 करोड़ का अंतिम शेष था। हमने देखा कि तीन जिला

प्राधिकारियों<sup>3</sup> द्वारा ₹ 0.32 करोड़ कोषालय में 6 जनवरी 2014 को जमा करवाया जाना पाया गया। किन्तु आयुक्त के व्यक्तिगत जमा खाता पंजी में राशि की प्रविष्टि नहीं पाई गई इससे यह दर्शित होता है कि आयुक्त द्वारा व्यक्तिगत जमा खाता शेष का मिलान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य उद्देश्यों/योजनाओं से संबंधित लेनदेन अर्थात् खाद्य कूपन योजना (₹ 25.74 करोड़) तथा 13वें वित्त आयोग (₹ 24.71 करोड़) उपर्युक्त व्यक्तिगत जमा खाता में जमा होना पाए गए।

व्यक्तिगत जमा खाते में अन्य उद्देश्यों/योजनाओं से संबंधित लेनदेन के संबंध में संचालनालय ने बताया कि भविष्य में केवल उन्हीं उद्देश्यों/योजनाओं की राशि व्यक्तिगत जमा खातों में रखी जाएगी जिन उद्देश्यों/योजनाओं के लिए वे खोले गए हैं। तथ्य यह है कि मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रत्येक उद्देश्य/योजना के लिए पृथक व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला गया था।

उपर्युक्त प्रकरण शासन को संदर्भित (सितम्बर 2014) किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अक्टूबर 2014)।

### 3.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

#### उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण

- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹ 27,372.73 करोड़ के अनुदानों के संबंध में अनुदानग्राही संस्थानों से बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (36,414) प्रतीक्षित थे जो संबंधित विभागों द्वारा अनुदानों के उपयोग में उपयुक्त निगरानी की कमी को दर्शाता है।

*अनुदानग्राही संस्थानों को जारी अनुदान के संबंध में, विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।*

#### स्वायत्त निकायों द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

- छह स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में अत्यधिक विलंब (69 महीनों तक) हुआ परिणामस्वरूप स्वायत्त निकायों की कार्यपद्धति की संवीक्षा में देरी हुई।

*सरकार को स्वायत्त निकायों द्वारा महालेखाकार को लेखों का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए।*

<sup>3</sup> स्तलाम (₹ 0.24 करोड़); देवास (₹ 0.03 करोड़); होशंगाबाद (₹ 0.05 करोड़)।

### **दुर्विनियोग एवं हानियों की सूचना**

- ₹ 28.17 करोड़ की राशि की हानियों, दुर्विनियोग इत्यादि के 2989 प्रकरणों के निवर्तन में सरकार का अनुपालन लंबित था।

दुर्विनियोगों, हानियों इत्यादि के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रतापूर्वक पूरी करनी चाहिए ताकि चूककर्ताओं द्वारा की गई चूक दर्ज हो सके।

### **संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयकों का प्रस्तुतीकरण**

- मार्च 2014 तक संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित ₹ 14.96 करोड़ के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक देयक प्रतीक्षित थे।

बकाया संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के समय से समायोजन हेतु निगरानी तंत्र होना चाहिए।

### **विभागीय व्यय का मिलान**

- 31 मार्च 2014 को 13 विभागों के नियंत्रण अधिकारियों ने ₹ 50,546.04 करोड़ की राशि के व्यय का मिलान नहीं किया।

विभाग को व्यय के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में दिखाए गए आंकड़ों से मिलान समय से सुनिश्चित करना चाहिए।

**व्यक्तिगत जमा खातों का रखरखाव**

- मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत जमा खाते, बिना वित्त विभाग के अनुमोदन के वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात भी जारी रहे थे। मार्च 2014 की समाप्ति तक व्यक्तिगत जमा खाते में कुल ₹ 1,784.77 करोड़ राशि का अत्यधिक अंतिम शेष था।

*विभागों को वित्त वर्ष की समाप्ति पर व्यक्तिगत जमा खातों को बंद करना सुनिश्चित करना चाहिए एवं शेष को राज्य की समेकित निधि में अंतरित किया जाना चाहिए।*

नवम्बर 2014 में आयोजित निर्गम सम्मेलन के दौरान, सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कार्रवाई की जाएगी।

ग्वालियर  
दिनांक

(सौरभ के.मल्लिक)  
महालेखाकार  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)  
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक